

28-6-17 प्रवाली आज्ञासंख्या कैम्प कोर्ट
विसारणामे पेश हुई। मूलवाद
में निर्णय किया जा चुका है।
अब इस आवेदन में आगे की
कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं
रहा। अतः इस आवेदन में आगे
की कार्रवाई इलाहाबाद स्तर पर समाप्त
कर न्यायालय द्वारा जारी एफएम
नं. 11-7-11 को खारिज
किया जाता है। प्रवाली फाइल
सुमार होकर दाखिलदफ्तर है।


सहायक क्लर्क
दफ्तर